

## पर्चा

# असाइलम के लिए इच्छुक लोगों के दायित्व तथा अधिकार से संबंधित कृपया नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु नोट करें:

### 1. अपने असाइलम सुनवाई में सहयोग करें!

हमेशा ईमानदारी से उत्तर दें!

अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से **ईमानदारी पूर्वक रखने का दायित्व** आपका है और यह आपके हित में है। झूठ कथन आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाएँगे! अपनी असाइलम कार्यवाहियों के दौरान आप जो बयान देने जा रहे हैं, तस्करों तथा/या ट्रैफ़िकिंग की संबंधित सूचना को नज़रअंदाज़ करें। यदि आपके बयान सही न हों, तो ऐसी सलाह आपके लिए हानिकारक हो सकती है।

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा (यहाँ के बाद संक्षिप्त में असाइलम ऐप्लिकेशन के रूप में जिक्र किया जाएगा) के लिए अपने आवेदन को बगैर किसी अनावश्यक विलंब के सौंपे जाने पर अपने आवेदन को सिद्ध करने के लिए सभी आवश्यक बिंदुओं को ईमानदारीपूर्वक प्रस्तुत करें।
- अपने पास मौजूद सभी साक्ष्यों को जल्द से जल्द सौंपें।
- यदि आप पहले से किसी अन्य यूरोपीय देश में थे, तो हमें बताएँ।
- प्राधिकारियों को कोई भी छूठी सूचना न दें। अपना नाम, पूर्व में प्रयुक्त अपने नाम, जन्मतिथि, पूर्व आवास के प्रांत, पूर्व असाइलम आवेदन और साथ ही पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों को ईमानदारीपूर्वक बताएँ।
- अपनी रष्ट्रीय तथा/या मूल देश या अपने दस्तावेज़ों (जैसे कि यात्रा दस्तावेज़ों, ट्रेन टिकट) की प्रामाणिकता के साथ धोखेबाजी न करें। इसका आपके असाइलम आवेदन पर नराकात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपका आवेदन तुरंत अस्वीकार किया जा सकता है।
- असाइलम तथा ईवेंट्स हासिल करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर ईमानदारीपूर्वक कारण बताएँ।
- यदि आपको किसी इंटरव्यू (पूछताछ) के लिए कोई सम्मन मिले, तो निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित हों। यदि आपको किसी जांच के लिए (जैसे कि किसी मेडिकल डॉक्टर या आधिकारिक एक्सपर्ट) कोई सम्मन मिले, तो निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित हों। अपने अनुसंधान तथा जांच-पड़ताल में सहयोग करें। कृपया अपने सहयोग के जरिए इन अप्वाइंटमेंट्स के दौरान हमारी मदद कीजिए।
- यदि आप बीमार हों और अप्वाइंटमेंट पर न आ जा सकें, तो कृपया प्राधिकारियों को तुरंत सूचना दें और पुष्टि के लिए डॉक्टर का नोट दें। यदि अप्वाइंटमेंट का पालन करने के पीछे आपके कोई अन्य कारण हों, तो कृपया प्राधिकारियों को सूचित करें।

- यदि आप सम्मन पर उपस्थित न रहने के कारण बताने में विफल हो जाते हैं, तो प्राधिकारी यह मानेंगे कि आप कार्यवाहियों से बचना चाहते हैं। आपकी असाइलम कार्यवाहियों को समाप्त किया जा सकता है या नकारात्मक निर्णय में परिणत हो सकता है या आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है।
- पुलिस पहचान निर्धारण प्रक्रियाओं (जैसे कि फिंगरप्रिंट्स लेना, फोटोग्राफ्स लेना इत्यादि) के दौरान सहयोग करें।
- सेवा के लिए आपके पते में सभी या किसी बदलाव की सूचना, यानी उस पोस्टल पते में बदलाव की सूचना जिसपर हम आपके पत्र भेजते हैं, तुरंत प्राधिकारों को भेजते हैं। यदि आप देश से बाहर हों, तो भी यह लागू होता है। यदि आप ऑस्ट्रिया में हों, तो तीन दिनों के भीतर योग्य निवास पंजीकरण प्राधिकार में रजिस्टर करना पर्याप्त होता है। एक प्राधिकृत प्राप्तकर्ता (जैसे कि ऑस्ट्रिया में कोई परिचित निवासी, कोई चेरिटेबल ट्रस्ट इत्यादि) को नियुक्त करना भी संभव है।
- यह आवश्यक है कि अधिकारी को पता हो कि आपके पत्राचार को किस पते पर भेजा जाए। यदि आप हमें अपने आवास में बदलाव के बारे में सूचित नहीं करते हैं, इसके निम्नांकित परिणाम हो सकते हैं:
  - यदि आपको सम्मन न भेजा जाए तो आपका असाइलम कार्यवाहियाँ समाप्त की जा सकती हैं या नकारात्मक निर्णय में परिणत हो सकता है। आप प्रत्यर्पण से अपनी सुरक्षा का मौका खो सकते हैं।
  - अधिकारी यदि आपकी कार्यवाहियों के ऊपर आपको कोई निर्णय नहीं सौंप सकते हैं, तो आप कानूनी उपचारों (उदाहरण के लिए अपील दायर करना) को दायर करने की अहम समय-सीमा खो सकते हैं।
  - अधिकारियों का निर्णय तब अंतिम और पूर्ण हो सकता है और इससे प्रत्यर्पण के विरुद्ध आपकी सुरक्षा विफल हो सकती है।
- यदि आप दावा करते हैं कि आप एक नाबालिग हैं और यह प्रश्न उठाने लायक है, तो आपको विश्वसनीय प्रमाणपत्रों या अन्य उपयुक्त साक्ष्यों के जरिए नाबालिक होने का प्रमाण पेश करना होगा। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अधिकारी आपकी आयु के निर्धारण के लिए मेडिकल आदेश जारी कर सकते हैं। आयु के मेडिकल निर्धारण पर अधिक जानकारी विशेष पर्चे में उपलब्ध है।
- यदि आप अकेला कम उम्र के नाबालिग हैं, यानी आप 14 वर्ष से कम के हैं, तो अधिकारी फ़ैमिली सर्च करने के लिए बाध्य नहीं होंगे आप फ़ैमिली सर्च को आरंभ करने के लिए एक आवेदन दे सकते हैं। प्राधिकारी आपको फ़ैमिली सर्च में मदद करेंगे। कम आयु के नाबालिगों के लिए फ़ैमिली सर्च पर अधिक जानकारी विशेष पर्चे में उपलब्ध है।
- यदि आप अकेला कम उम्र के नाबालिग हैं, यानी आप 14 वर्ष से अधिक के हैं, तो अधिकारी फ़ैमिली सर्च करने के लिए बाध्य होंगे आपको फ़ैमिली सर्च में मदद करनी होगी और आपके पारिवारिक संबंध की पुष्टि वाले सभी प्रमाण पेश करने होंगे आपको किसी संपन्न फ़ैमिली सर्च के सभी नतीजों की सूचना तुरंत इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) के सम्मुख देनी होगी। कम आयु के नाबालिगों के लिए फ़ैमिली सर्च पर अधिक जानकारी विशेष पर्चे में उपलब्ध है।

- यदि आप कॉन्टैक्ट सेंटर पर बेघर के रूप में **पंजीकृत** हैं, तो आप स्वतः ही सूचना देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको हर 14 दिनों पर कॉन्टैक्ट सेंटर के निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर **सूचित करना** होगा। सूचित करने की यह बाध्यता बेघर के तौर पर पंजीकरण की पहली तिथि से आरंभ होती है। यह करार तबतक लागू नहीं होता है, जबतक कि आप स्वीकृत प्रक्रिया में हों

**यदि आप असाइलम के लिए इच्छुक व्यक्ति के तौर पर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं, तो यह आपके असाइलम आवेदन तथा आपकी विश्वसनीयता के मूल्यांकन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा!**

सहयोग करने तथा सूचित करने के कर्तव्यों का पालन करें। यदि आप यह नहीं करते हैं, तो आपको इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) द्वारा डेटेंशन पेंडिंग डिपोर्टेशन में लिया जा सकता है, ताकि आपके निवास या निष्कासन के समापन के निर्णय को मंजूर करने वाली कार्यवाहियों की सही प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। आप अन्य परिणामों के भी भागीदार बन सकते हैं, जैसे कि आपकी बुनियादी देखभाल तथा सेवा लाभों का समापन हो सकता तथा पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं या, प्रक्रियागत हानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2. असाइलम सुनवाई:

a) **ऑस्ट्रिया में असाइलम की मंजूरी की पूर्वावश्यकताएँ:**

आपने एक असाइलम आवेदन दायर किया हो। आपकी असाइलम सुनवाई **मंजूर** की जा चुकी हो आप विश्वसनीय रूप से दिखा सकें कि आपको अपने मूल देश में अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रिय , राजनैतिक रुझान या किसी अमुक सामाजिक समूह की सदस्यता को लेकर मुकदमा चलाने के उचित आधार हों आप अपने मूल देश की सुरक्षा का सहारा नहीं ले सकते या आप ऐसा करने से डरते हों

b) **इंटरव्यू:**

- आपकी असाइलम कार्यवाहियों की मंजूरी मिल जाने पर (जैसा कि पहले आरंभिक सूचना पर्चे में बताया जा चुका है) आपसे इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) के स्टाफ़ सदस्य द्वारा पूछताछ की जाएगी। यह स्टाफ़ सदस्य आपके मूल देश की परिस्थितियों से अवगत होता है और आपके अलाइलम आवेदन पर निर्णय लेता है।
  - आपको इस साक्षात्कार के दौरान अपने असाइलम आवेदन को सिद्ध करना होगा। कृपया उन कारणों का वर्णन करें जिसके आधार पर आपको मुकदमे से भय लगता है। साथ ही कोई अन्य तथ्य तथा परिस्थितियाँ भी बताएँ जो आपको आपके मूल देश को वापस लौटने से रोकते हैं।
  - अपने बचाव मार्ग तथा भागने के लिए अपने कारण के बारे में आप जो भी सूचना देते हैं, उन्हें गोपनीय रूप से लिया जाता है और उन्हें आपके मूल देश के प्राधिकारों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।
  - यह आवश्यक है कि आप अपने निजी केस हिस्ट्री तथा विशेष खतरों का एक पूर्ण, विस्तृत तथा विशद विवरण देंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप सच कहेंगे!
- आपके बयानों में कोई भी असत्य आपकी विश्वसनीयता को आघात पहुँचाएगा। आपके बयानों में यदि कोई अस्पष्टता होती हो, तो आपसे आगे और भी पूछताछ की जाएगी।
- इंटरव्यू आपके असाइलम सुनवाइयों का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह प्राधिकारों द्वारा फ़ैसला लेने के लिए आधार का निर्माण करता है कि क्या आपको असाइलम दिया जाए या नहीं

- इंटरव्यू में एक ऐसा भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसपर आपको भरोसा हो, जैसे कि आपका वकील तथा/या प्रतिनिधि, अथवा कोई कानूनी सलाहकार।
- यदि आप 18 वर्ष से कम के आयु के हैं, तो आपका कानूनी प्रतिनिधि (कोई अभिभावक, कानूनी सलाहकार या योग्य यूथ वेलफ़ेयर ऑफ़िस) को आपके इंटरव्यू में मौजूद रहना होगा।
- यदि मुकदमे के प्रति आपका भय आपके लैंगिक स्व-निर्धारण में हस्तक्षेप पर टिका हो, तो आपके पास अपने लिंग वाले व्यक्ति द्वारा इंटरव्यू करवाने का अधिकार होता है। हालांकि, यदि आप भागने की वजहों के कारण अपने ही लिंग के किसी व्यक्ति से इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, तो कृपया उचित समय पर आप हमें सूचित करें।

#### c) दु :

प्राधिकार आपको एक दुभाषिया निःशुल्क प्रदान करता है, ताकि आप भाषाई कठिनाइयों के बगैर अपने भागने का कारण बता सकें। यदि अपने भागने के कारणों की वजह से आप समान लिंग वाले व्यक्ति द्वारा इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, तो कृपया उचित समय पर हमें सूचित करें। प्राधिकार हर संभव तरीके से आपके समान लिंगी दुभाषिए की व्यवस्था व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इस दुभाषिए का कार्य मुख्य रूप से आपके बयानों को हर संभव शुद्ध तरीके से अनुवाद करना है। वे आपके और आपके प्राधिकारों के बीच, जैसे कि प्राधिकारों के लिए काम करने वाले स्टाफ़ के बीच महज एक भाषा बिचौलिए के तौर पर काम करते हैं, और आपके बयानों के संदर्भ में गोपनीयता की एक कड़ी संहिता से बंधे होते हैं।

यदि आपको दुभाषिए की बात को समझने में समस्या आती है, या आप उनकी मौजूदगी में खुल कर बात करने में भय अनुभव करते हैं, तो कृपया तुरंत हमारे स्टाफ़ को सूचित करें।

कृपया नोट करें कि आपको इंटरप्रीटर आपके असाइलम सुनवाईयों के बारे में आपको कोई कानूनी सूचना नहीं दे सकते हैं।

#### d) लिखित रिकॉर्ड :

आपके बयान इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी उन्हें लिखा जाएगा। इंटरव्यू के अंत में, इस रिकॉर्ड को आपके हित में दुभाषिए के द्वारा आपको अनुदित किया जाता है। यह आपको किसी भी संशोधन या संयोजन की अनुमति देता है। यदि आपके बयान सही हों और पूरी तरह से प्रस्तुत हों, तो इस रिकॉर्ड को हस्ताक्षरित की पुष्टि करें। आप इस रिकॉर्ड की एक कॉपी की मांग इंटरव्यू के अंत में कर सकते हैं।

#### e) निर्णय लेना:

आपकी असाइलम सुनवाई के नतीजे पर प्राधिकारों का निर्णय एक लिखित फ़ैसले के रूप में किया जाता है। इस निर्णय का बड़े हिस्से को उस भाषा में अनुदित किया जाता है, जिसे आप समझते हैं।

यह निर्णय आपको प्राधिकारों द्वारा सौ जा सकता है या पोस्ट या पुलिस द्वारा प्रदान किया जा सकता है। कृपया इसलिए फिर ध्यान दें कि आपको पते के किसी बदलाव के बारे में प्राधिकारों को तुरंत सूचना दें।

आपके पास फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील के द्वारा इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) के फ़ैसले की समीक्षा का अधिकार है। ऐसी अपील केवल एक निश्चित समयावधि में और केवल इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) में दायर की जा सकती है। इसलिए अपने फ़ैसले (ये ऐसे निर्देश होते हैं, जो आपको बताते हैं कि निर्णय के खिलाफ़ आप कौन सा और किस अवधि में फ़ैसला ले सकते हैं) में वर्णित अपील प्रक्रिया से जुड़े निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ें।

### f) दस्तावेज़ों की आपूर्ति

- यदि आप इनिशियल रिसेप्शन सेंटर में हों या किसी वेलफ़ेयर प्रतिष्ठान आवंटित हो, तो आपके दस्तावेज़ वहाँ दिए जाएंगे।

यदि आपने कोई कानूनी प्रतिनिधि (वकील) या पत्राचार प्राप्त करने वाले किसी अधिकृत व्यक्ति को नियुक्त किया हो, तो प्राधिकारों के दस्तावेज़ उन्हें प्रदान किए जाएंगे। स्वीकृति सुनवाइयों के दौरान, आपको व्यक्तिगत रूप से समन दिए जाएँगे।

- यदि आप 18 वर्ष की आयु से नीचे के हों और अपने माता-पिता के साथ न रहते हों, तो प्राधिकारों के पत्राचार आपके कानूनी प्रतिनिधि (स्वीकृति कार्यवाहियाँ यूथ वेलफ़ेयर ऑफिस) कानूनी सलाहकार को सौं जाएँगे। इसलिए आपको अपने पूरे मामले के दौरान आपके निवास के संबद्ध स्थान के यूथ वेलफ़ेयर ऑफिस के संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें अपने ठिकाने की सूचना देनी चाहिए।
- यदि आप अपने दिए पते से दूर हों, आपके लिए लक्षित दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता (सामान्यतः पोस्टऑफ़िस) को सौं जाएंगे, जहाँ से बाद में आप इसे ले सकते हैं। कृपया नोट करें कि दस्तावेज़ों को जमा करना दस्तावेज़ को व्यक्तिगत रूप से देने के समान है और इस समय से कोई भी समय सीमा आरंभ हो जाएगी।
- यदि बगैर किसी कानूनी आधार के दस्तावेज़ की स्वीकृति से इंकार कर दिया जाता है, तो यह संबंधित पता पर निर्भर करेगा (सामान्यतः पोस्ट ऑफ़िस)। कृपया नोट करें कि डॉक्युमेंट डेलिवर माना जाता है और अहम समय सीमा उसी बिंदु से आरंभ माना जाता है।
- यदि आपने प्राधिकारों को एक मौजूदा डेलिवरी पता न दिया हो और प्राधिकार आसानी से आपके नए पते को न ढूँढ पाए, तो आपकी सुनवाइयों से जुड़ा एक फ़ैसला उन प्राधिकारों को सौं जाएगा। यह सुपुर्दगी को भी निजी आपूर्ति माना जाता है और अहम समय-सीमा इसी बिंदु से आरंभ माना जाता है।  
इसलिए पता में होने वाले किसी बदलावों के बारे में प्राधिकारों को सूचित करें।
- उदाहरण के लिए, यदि आपके पास वर्तमान में कोई दीर्घकालिक निवास न हो, तो आप दस्तावेज़ों की आपूर्ति के लिए एक अधिकृत प्राप्तकर्ता की नियुक्ति (जैसे कि कोई परिचित जो ऑस्ट्रिया में रहते हों, कोई चैरिटेबल संगठन इत्यादि) कर सकते हैं। कृपया इस पता की सूचना तुरंत प्राधिकारों को दें। आपके मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ तब वहीं डेलिवर कर दिए जाएँगे।
- बेघरों के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर (यह म्युनिस्पैलिटी में एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ बेघर लोग आते हैं) को असाइलम सुनवाइयों के दौरान डेलिवरी पता नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि असाइलम सुनवाई के दौरान वहाँ कोई दस्तावेज़ नहीं सौं जाएगा।

### g) परिणामी आवेदन कार्यवाहियाँ

यदि आपने एक उत्तरवर्ती आवेदन दायर किया हो ( यानी उस आवेदन के बाद, जिसके लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ़ैसला जारी कर दिया गया हो, एक अतिरिक्त आवेदन दायर करते हैं), तो आपकी सुनवाइयों पर एक विशेष प्रावधान लागू होता है। एक विशेष पर्चा में सभी संबद्ध विवरण शामिल होते हैं।

### h) असाइलम आवेदन को वापस लेना

सिद्धांततः, आप अपने असाइलम आवेदन को वापस नहीं ले सकते।

हालांकि, यदि आप तब भी असाइलम सुनवाई से वापस होना चाहते हैं, तो कृपया प्राधिकारों में लिखित में बताएँ या रिटर्न काउंसलिंग सेंटर या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।

यदि आप अपना असाइलम आवेदन इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) द्वारा जारी फ़ैसले पर अपील के बाद वापस लेना चाहते हैं, तो इसे आपकी अपील की भी वापसी माना जाएगा। आप समान्य कानूनी उपचारों के जरिए इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) के मूल फ़ैसले को चुनौती नहीं दे पाएँगे।

### i) आपकी गिरफ़्तारी के लिए संभव वारंट

प्राधिकार आपकी गिरफ़्तारी के लिए एक वारंट जारी कर सकते हैं, यदि:

- आप प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं; यानी यदि प्राधिकारियों को यह पता न चले कि आप कहां हैं।
- आप अनुरोध करने के बावजूद प्राधिकारों द्वारा सेट तिथि पर लिए अप्वाइंटमेंट पर पेश नहीं होते।

जब आपको गिरफ़्तार किया जाता है, तो आपको सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्राधिकारों के सामने लाया जाएगा।

### j) पारिवारिक असाइलम सुनवाई:

किसी विदेशी के परिवार सदस्य के रूप में, जिसे पहले ही असाइलम मंजूर किया जा चुका हो, या जिसे सॉलिसिटरी प्रॉटेक्शन का दर्जा दिया जा चुका हो, तो आपको सुरक्षा का समान स्तर प्रदान किया जाएगा, यदि निम्नांकित पूर्वावश्यकताएँ पूरी होती हों:

- आपका परिवार सदस्य कोई अपराधी न हो
- आपके परिवार सदस्य के साथ मौजूदा पारिवारिक जीवन की निरंतरता आपके लिए किसी अन्य देश में संभव नहीं हो
- आपके परिवार सदस्य के खिलाफ़ असाइलम के निरसन या सॉलिसिटरी प्रॉटेक्शन लंबित नहीं हो सकता है
- आप EEA या स्विस नागरिक नहीं हो सकते हैं
- आप अपने परिवार के जिस सदस्य के आवेदन की बात कर रहे हैं, उसे पारिवारिक असाइलम सुनवाई के दौरान असाइलम तथा/या सॉलिसिटरी प्रॉटेक्शन की मंजूरी न दी गई हो; हालांकि यदि ऐसा परिवार कोई अविवाहित नाबालिग बच्चा हो, तो यह सीमा लागू नहीं होती।

उदाहरण के लिए परिवार सदस्य जीवन-साथी, नाबालिग का माता-पिता तथा अविवाहित नाबालिग बच्चे हों उदाहरण के लिए जीवन-साथी पहले से मूल देश में एक कॉमन घर में साथ रह रहे हों

### बच्चे:

आपके द्वारा दायर आवेदन आपके नाबालिग, अविवाहित बच्चे (18 वर्ष से कम के आयु) पर भी लागू होता है, बशर्ते कि वे आपके साथ रहते हों यदि बच्चा यदि ऑस्ट्रिया में जन्मा हो तो जारी असाइलम सुनवाइयों के दौरान आपको इसकी सूचना इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) को देनी होगी। निवास का अधिकार और आप पर लागू निष्कासन के स्थगन से संबंधित पूरी तरह से नकारात्मक फ़ैसला पाने के बाद जब आप ऑस्ट्रिया में होते हैं तो भी यह आपके ऊपर लागू होता है। इसलिए साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक आवेदन दायर करना होगा।

यदि आपको असाइलम या सॉलिसिटरी प्रॉटेक्शन दर्जा दिया जाता हो, तो आप लिखित में ऑस्ट्रिया में जन्मे बच्चे के लिए एक आवेदन सौं सकते हैं या उसे आप सीधा इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) को सौं सकते हैं।

### k) रेसिडेंस एंटाइटल्मेंट्स कार्ड:

यदि आपकी असाइलम सुनवाई मंजूर की जा चुकी हो, तो आपको एक रेसिडेंस एंटाइटल्मेंट कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की वैधता आपकी असाइलम सुनवाई के अंतिम फैसले के साथ या उसके समापन के साथ खत्म होती है। इस बिंदु पर आपको इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) में वापस होगा।

#### 1) सब्सिडियरी प्रॉटेक्शन कार्ड की अधिकारिता:

##### • असाइलम:

यदि आपको असाइलम की मंजूरी मिल जाती है, तो इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) आपको असाइलम कार्ड की अधिकारिता जारी करेगा। यह केवल तभी लागू होगी जब आपका आवेदन 15 नवम्बर 2015 या बाद में सौंपा गया हो। यह कार्ड आपके पहचान पत्र का काम करता है और ऑस्ट्रिया में निवास करने की वैधता बताता है। जब असाइलम अधिकारिता का आपका दर्ज़ा अवैध हो जाता है, तो यह निरस्त हो जाएगा।

##### • सब्सिडियरी प्रॉटेक्शन:

यदि किसी अधिकारी को लगता है कि आपको असाइलम पाने का अधिकार नहीं है, पर तब भी आपके मूल देश की स्थिति (जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन का भय, मृत्युदंड, यातना या अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार के निषेध के उल्लंघन भय) मद्देनजर आपको प्रत्यर्पित या निष्कासित न किया जाता है, तब आपको अस्थायी निवास अनुमति प्रदान की जाएगी। इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) तब आपके लिए एक सब्सिडियरी प्रॉटेक्शन कार्ड जारी करेगा।

यह कार्ड आपके पहचान पत्र का काम करता है और ऑस्ट्रिया में निवास करने की वैधता बताता है। निवास का अधिकार इसके प्रवर्धन पर अंतिम निर्णय तक वैध रहता है, बशर्ते कि आवेदन निवास के अधिकार के समापन से पहले दायर किया गया हो।

यदि आपके मूलदेश में निष्कासन या प्रत्यर्पण के खिलाफ़ मूल कारण अब लागू न हों, तो निवास का अस्थायी अधिकार निरसित हो जाएगा और सब्सिडियरी प्रॉटेक्शन कार्ड निरस्त हो जाएगा।

फ़ैसला लिखित में दिया जाता है। आपके पास फ़ेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील के द्वारा इमिग्रेशन एवं असाइलम के फ़ेडरल ऑफ़िस (BFA) के फैसले की समीक्षा का अधिकार है। कार्ड को अंतिम व पूर्ण निर्णय के बाद प्राधिकारियों को वापस लौटा दिया जाता है।

#### m) परामर्श:

आपकी सुनवाई के दौरान स्वतंत्र कानूनी परामर्शदाता निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। लोकल एड या चैरिटेबल संगठन (Caritas, Evangelisches Hilfswerk, Diözese, व अन्य) भी आपको निःशुल्क सहायता देंगे और आपकी असाइलम सुनवाई के दौरान प्रतिनिधित्व करेंगे।

निःसन्देह आप अपने कानूनी प्रतिनिधि (वकील) को नियुक्त कर सकते हैं, जिसका खर्च आपको वहन करना होगा।

### 3. पाबंदियाँ:

**कृपया ध्यान दें कि अन्य के साथ, निम्नांकित क्रियाएँ कानूनी कार्यवाही जो जन्म देती हैं:**

- यदि आप प्राधिकारों को असाइलम सुनवाई में अपनी पहचान या अपने मूल के बारे में झूठी सूचना देते हैं, तो भले ही आपको पता हो कि वह सूचना असत्य हो, आप कानूनी कार्यवाही के भागीदार बनेंगे।

- यदि आप अपनी असाइलम सुनवाईयों के दौरान अपने कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं, तो आप खुद को कानूनी कार्यवाही के भागीदार बनाते हैं।
- यदि आप अपनी असाइलम सुनवाईयों के दौरान क्षेत्रीय पाबंदियों का उल्लंघन करते हैं, तो आप खुद को कानूनी कार्यवाही के भागीदार बनाते हैं।